

10 तथा चकनं 10 सीडीआर ए के प0न0 210/252 मु0 22 किलानं 23/119 मध्य में,  
34/119 है0 मध्य

ग. वादीगण सं0 6 ता 9 को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी:- चकनं 10 सीडीआर ए के खाता सं0 51/135 में अंकित कुल 19.9870 है0 में से हजारी के 1999/19987 हिस्सा में से 0.331 है0 ब0हि0ब0

घ. वादीसं 10 सन्दीप को प्राप्त आराजी:- चकनं 8 सीडीआर के खाता सं0 114/13 में अंकित कुल 12.3070 है0 आराजी में से हजारी के 2461/12307 हिस्सा में से 1.707 है0

चकनं 10 सीडीआर ए के खाता सं0 209/205 प0न0 210/252 मु0 22 किलानं 23/096 उत्तरी दिशा, 24/096 है0 उत्तरी दिशा

घ. वादीसं 11 प्रहलादराय को प्राप्त आराजी:- चक नं 10 सीडीआर ए के खाता सं0 114/202 में अंकित कुल 3.8960 है0 में से हजारी के 779/3896 हिस्सा

चकनं 8 सीडीआर के खाता सं0 114/13 में अंकित कुल 12.3070 है0 आराजी में से हजारी के 2461/12307 हिस्सा में से 0.754 है0

चकनं 10 सीडीआर ए के खाता सं 51/135 में अंकित कुल 19.9870 है0 में से हजारी के 1999/19987 हिस्सा में से 0.390 है0 के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व चकनं 10 सीडीआर ए के खाता सं0 209/205, चकन 8 एफटीपी ए के खाता सं0 92/86, चकनं 10 सीडीआर ए के खाता सं0 51/135, चक नं 8 सीडीआर के खाता सं0 114/13, चक नं 0 सी. डी. आर. ए के खाता सं0 114/202 में हजारी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यप्रकाश) B.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

पंच डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पौठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.  
प०न० 49/2026

1. रमेशचन्द्र डूडी पुत्र जगदीश चन्द्र डूडी जाति जाट निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. कलावती पत्नी जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सुनीता सिंह पत्नी तरुणसिंह पुत्री जगदीश चन्द्र जाति जाट निवासी जयपुर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. सुमन पत्नी नवीन कुमार पुत्री जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी हनुमानगढ जं० तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. कुलदीप सिंह पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. गुड्डी पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. सरला पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. माया देवी पत्नी मंगतूराम पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी निरवाल जिला हनुमानगढ।
9. कैलाशरानी पत्नी लालचन्द्र पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी निरवाल जिला हनुमानगढ।
10. सन्दीप कुमार पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
11. प्रहलादराय पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. विमला पत्नी पूर्णराम पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी फरवाँकलां तहसील व जिला सिरसा।
2. सुमित्रा उर्फ चमेली पत्नी जगदीश पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी फरवाँ कला तहसील व जिला सिरसा।
3. उर्मिला पत्नी भीमसैन जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. सुशीला पुत्री भीमसैन जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. जमना पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. वादी सं० 1 ता 4 को व०हि०व० प्राप्त आराजी:- चकन० 8 एफटीपी ए के खाता सं० 92/86 में संकित हजारी के नाम की कुल 1.012 है० तथा चकन० 10 सीडीआर के खाता सं० 99/205 में प०न० 210/252 गु० 22 किलानं० 19, 20, 21, 22, 23/.038 है० दक्षिण दिशा, 24/.038 है० दक्षिण दिशा

ख. वादी सं० 5 कुलदीप सिंह को प्राप्त आराजी:- चकन० 10 सीडीआर ए के खाता सं० 51/135 में संकित कुल 19.9870 है० में से हजारी के 1999/19987 हिस्सा में से 0.778